

DON'T FALL VICTIM TO FRAUDULENT SOCIETIES/COMPANIES/DEVELOPERS IN THE NAME OF LAND POOLING POLICY

CAUTION !!!

Some Societies/Companies/
Developers (promoters)
are floating misleading
advertisements about
attractive housing schemes
using the name of DDA's Land
Policy and charging
registration money for
booking of plots/flats.



As on date, DDA has not issued any approval/
license to any housing project under Land Policy.



It is illegal to advertise any plots/flats in any project
without registration/approval of the project under
Real Estate Regulatory Authority Act-2016.

RERA

Before investing, check the status of any approved projects
on official website of RERA



Before investing, check details of layout plan approvals,
Provisional & Final Development License issued to
promoter, if any, by DDA.



Any person aggrieved by such offers may contact/file
complaint against promoter with Economic Offences Wing,
Police Station Complex, Mandir Marg, New Delhi.
(E-mail to EOW, Delhi Police at: dcp-eow-dl@nic.in)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Visit DDA's Website • www.dda.org.in and Click on relevant icon in Online Public Service
or Dial Toll Free No. 1800-110332

Follow us on [f](https://www.facebook.com/ddaofficial) @ddaofficial [t](https://www.twitter.com/official_dda) @official_dda



Please refer to <https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx> for further details.

भूमि नीति के नाम पर बर्नीं फर्जी सोसाइटी/कम्पनी/डेवलपर के शिकार न बर्नें

सावधान रहें!!!

कुछ सोसाइटी/कम्पनी/
डेवलपर (प्रमोटर) डीडीए की
भूमि नीति के नाम पर आकर्षक
आवास योजनाओं के बारे में
भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं और
भूखंड/प्लेटों की बुकिंग के लिए
पंजीकरण राशि वसूल रहे हैं।



अभी तक डीडीए ने भूमि नीति के तहत किसी आवासीय परियोजना को
किसी तरह का कोई अनुमोदन/लाइसेंस जारी नहीं किया है।



रियल एस्टेट रेगुलेटरी एथॉरिटी अधिनियम-2016 के तहत परियोजना के
अनुमोदन/लाइसेंस के बिना किसी भी परियोजना में भूखंड/प्लेट के लिए
प्रकाशित किए गए विज्ञापन गैर कानूनी हैं।

RERA

निवेश करने से पहले रेरा (RERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर
अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति जांच लें।



निवेश करने से पहले डीडीए द्वारा प्रमोटर को जारी किया हुआ लेआउट
प्लान का अनुमोदन, अंतिम और अंतिम विकास लाइसेंस का विवरण
जांच लें, यदि कोई हो।



ऐसे प्रस्तावों का शिकार होने पर व्यक्ति प्रमोटर के खिलाफ आर्थिक अपराध
शाखा, पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज
करा सकता है। (आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस को ई-मेल लिखें
dcp-eow-dl@nic.in)



दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in पर जाएं और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं में प्रासंगिक
ऑनलाइन पर क्लिक करें या टोल फ्री नं.: 1800110332 डायल करें

[f](https://www.facebook.com/ddaofficial) @ddaofficial [t](https://www.twitter.com/official_dda) @official_dda पर हमें फॉलो करें



अधिक जानकारी हेतु कृपया <https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx> देखें